सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

संख्या– 429
06/06/2017

पटना, 06 जून 2017 ::– आज की बैठक में कुल 07 मामलों पर निर्णय लिये गये। इस सन्दर्भ में विशेष सचिव मंत्रिमंडल श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि गृह विभाग(अभियोजन निदेशालय) के अन्तर्गत क्षेत्रीय जिला अभियोजन कार्यालयों एवं अनुमंडल अभियोजन कार्यालयों के लिए समूह ''ग'' निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान PB 1 + GP 1900) के कुल 56 (छप्पन) पदों के सृजन के स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग के तहत बिहार लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम 22(3) के साथ सह–पठित अनुसूची–(iv) की कंडिका–(4) के तहत बंदोबस्त बालू, पत्थर एवं अन्य लघु खनिजों की खनन योजना एवं कंडिका–(6) के तहत रूपांतरित खनन योजना हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–815 दिनांक–25.02. 2014 से गठित अन्तर्विभागीय समिति को उसके गठन की तिथि के प्रभाव से सक्षम प्राधिकार घोषित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस समिति में निदेशक खान एवं भूतत्त्व अध्यक्ष होगे। इनके अतिरिक्त उप निदेशक मुख्यालय खान एवं भूतत्व उप निदेशक पटना अंचल खान एवं भूतत्व पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। आगे उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग के तहत (समाज कल्याण निदेशालय) बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 को बिहार राज्य में प्रवृत्त (लागू) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस संदर्भ में और अधिक जानकारी उन्होंने दी और बताया कि बालको की देख–रेख, संरक्षण एवं उनके अधिकारों के संरक्षित करने के उद्देश्य से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (यथा संशोधित 2006) अधिसूचित किया गया था। केंन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचित अधिनियम को विलोपित करते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) को 15 जनवरी, 2016 के प्रभाव से लागू किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा नये अधिनियम, 2015 की धारा 110 (1) के आलोक में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियमावली, 2016 दिनांक–21.09.2016 को अधिसूचित किया गया है। आदर्श नियमावली, 2016 के अध्ययन के उपरान्त बाल संरक्षण से जुड़े हुए विषयों पर राज्य के संदर्भ में राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप एवं कार्य में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए संशोधन किये जाने की आवश्यकता के आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किशोर न्याय आदर्श नियमावली, 2016 के कुछ नियमों में आवश्यक परिवर्तन के साथ बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 को राज्य में प्रवृत्त (लागू) किये जान का निर्णय आज लिया गया है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत पटना में प्रस्तावित डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साईंन्स सिटी के निर्माण एवं विकास हेतु परामर्शी के चयन प्रक्रिया पर व्यय होने वाली राशि रू० 95,22,000.00 (पंचानवे लाख बाईस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक

स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। सहकारिता विभाग के तहत श्री मनोज कुमार, बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा सम्प्रति निलंबित को उनके विरूद्ध गंभीर प्रमाणित आरोपों के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त करने एवं निलंबन अवधि (दिनांक–12.03.2015 से बर्खास्तगी की तिथि तक) के लिए पूर्व प्रदत्त जीवन निर्वहन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने का दण्ड देने के स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा संविदा पर नियोजित कर उपलब्ध कराये गये कनीय अभियंताओं में से सम्प्रति कार्यरत 40 (चालीस) कनीय अभियंताओं के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होने के फलस्वरूप उनकी सेवा अवधि संलग्न सूची में अंकित तिथि के अनुसार 1 (एक) वर्ष के लिए प्रतिमाह रू० 27000 मानदेय पर विस्तारित किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री पाण्डेय ने बताया कि भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर भवन निर्माण विभाग के अधीन नियोजित कुल 18 (अठारह) कनीय अभियंताओं (असैनिक) का अगले एक वर्ष दिनांक–05.09.2016 से दिनांक–04.09.2017 तक पुनर्नियोजन किये जाने की स्वीकृति दी गई।

————————————————————